कबीरधाम पुलिस
आपकी सेवा में सदैव तत्पर

थाना कोतवाली

" अवैध शराब का कारोबार कर रहे ढाबा संचालक चढ़ा पुलिस के हत्थे "

पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री के. एल. ध्रुव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार सोनी तथा उप पुलिस अधीक्षक श्री बी.आर. मंडावी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक श्री मुकेश सोम के द्वारा कोतवाली क्षेत्रांतर्गत अवैध शराब बिकी करने वालों पर कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था इसी तारतम्य में दिनांक 31.05.2020 को मुखबीर से सूचना मिला कि बादशाह ढाबा के मालिक योगीराज उर्फ लालू पिता चंद्रसेन सिंह ठाकुर उम्र 28 साल साकिन ठाकुरपारा वार्ड नं 21 कवर्धा के द्वारा अपने ढाबा के सामने वेगानार कार कमांक सीजी CG / 09 / JB / 3789 के अंदर अवैध रूप से शराब रखकर बिकी कर रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ के मौके पर जाकर रेड कार्यवाही किया वेगानार कार के पीछे सीट के निचे पान मशाला गुटखा के थैला में 10 नग पार्टी स्पेशल व्हीस्की प्रत्येक में 180 ML शीलबंद कीमती 1800 रूपये , 02 नग रायल चैलेन्ज व्हीस्की प्रत्येक 375ML भरा हुआ शीलबंद कीमती 840 रूपया , 09 नग गोवा व्हीस्की प्रत्येक में 180 ML शीलबंद कीमती 1080 रूपये , 06 नग देशी प्लेन मदिरा 180 ML शीलबंद कीमती 480 रूपये , कुल कीमती 4200 रूपये कुल बल्क लीटर 5.250 लीटर, कुल कीमती 4200 रूपये घटना में प्रयुक्त वेगानार कार कमांक सीजी CG / 09 / JB / 3789 किमती 2,00,000 / रू को जप्त किया गया है आरोपी के कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से अपराध कमांक 222/2020 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी को ज्यूडिसियल रिमाण्ड पर भेजा गया है । उक्त कार्यवाही में निरी 0 मुकेश सोम सउनि - कौशल साहू , प्र.आर .297 चुम्मन साहू.आर .509 संदीप शुक्ला , आर .381 समसेर अली का योगदान रहा हैं ।

1 IPC
जावेगी